समाचार

मंगलवार को दुकान खोलने पर लगा 9400 रू. अर्थदण्ड

(निगम अमले ने की कार्यवाही, दुकानों को कराया बंद, लाकडाउन का पालन करने दी कड़ी हिदायत)

महाराज किराना स्टोर

कोरबा 10 अगस्त 2021 – मंगलवार को लाकडाउन होने के बावजूद दुकान संचालकों द्वारा दुकानें खोल ली गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने इन दुकानों पर अर्थदण्ड लगाया, दुकानों को बंद कराया तथा लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने व मंगलवार को दुकान, प्रतिष्ठान न खोलने की कड़ी हिदायत दी।

यहां उल्लेखनीय है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में कोरबा में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को लाकडाउन रखने एवं इस दिन अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानों, प्रतिष्ठानों को न खोलने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू द्वारा जारी किए गए हैं, किन्तु इसके बावजूद कुछ दुकान संचालकों द्वारा मंगलवार को दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया गया। आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा के निर्देश पर निगम अमले ने इन दुकान संचालकों पर कार्यवाही करते हुए 9400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविशंकर नगर जोन में 6000 रूपये, बालको जोन में 2000 रूपये, कोसाबाड़ी जोन में 1000 रूपये सहित कोरबा व दर्री जोन में दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें हिदायत दी गई कि वे मंगलवार को दुकान न खोले, लाकडाउन का पालन करें।

<u>पूर्ण लाकडाउन का पालन करें</u>– आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने निगम क्षेत्र के सभी दुकान, प्रतिष्ठान संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य दुकानों को मंगलवार को बंद रखें जाने के निर्देश दिए गए हैं, अतः निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए मंगलवार को दुकान, प्रतिष्ठान न खोलें, लाकडाउन का पालन करें तथा लाकडाउन का उल्लंघन पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।